

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,  
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कारपोरेट सर्किल)  
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)  
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

मा० लोक लेखा समिति के समक्ष वाणिज्य कर विभाग से सम्बन्धित ऑडिट प्रस्तारों की सुनवाई के दौरान यह तथ्य रेखांकित किया गया कि वसूली हेतु लम्बित कुछ मामलों में न तो कम्पनी के पास वसूली योग्य एसेट्स हैं, और न ही कम्पनी के निदेशकों के पास। कुछ ऐसे भी मामले प्रकाश में आये जहाँ कम्पनी के निदेशकों का ही कोई अता-पता नहीं है।

भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसके दृष्टिगत अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रत्येक जोन में जोन की संवेदनशील वस्तुओं तथा उनसे सम्बन्धित सभी रेड फ्लैग इकाईयों की कम्पनी प्रोफाइल, उनके निदेशकों, उनके शेयर होल्डर्स, निदेशकों एवं कम्पनी की एसेट्स आदि के सम्बन्ध में पूर्ण सूचना संकलित करने तथा संवेदनशील वस्तुओं के व्यापार में संलग्न सभी कम्पनियों का अध्यावधिक रिकार्ड रखने हेतु प्रत्येक जोन में किसी उपयुक्त अधिकारी को नामित करने के निर्देश दिए गए हैं।

उक्त के अनुपालन में प्रत्येक जोन में तैनात ज्वाइन्ट कमिश्नर (कारपोरेट सर्किल) को सम्बन्धित जोन की सभी संवेदनशील वस्तुओं/सेवाओं के व्यापार में संलग्न इकाईयों विशेष रूप से कम्पनियों एवं उनके निदेशकों की 360° प्रोफाइलिंग हेतु प्रभारी अधिकारी नामित किया जाता है।

1- संवेदनशील वस्तुओं एवं इनमें संलग्न इकाईयों/कम्पनियों, उनके निदेशकों आदि की 360° प्रोफाइलिंग का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जायेगा। यह कार्य जोन की सबसे प्रमुख संवेदनशील वस्तु/सेवा एवं इनके व्यापार में संलग्न सबसे बड़ी कम्पनियों से प्रारम्भ करके क्रमशः आगे किया जाएगा, किन्तु यह कार्य प्रत्येक दशा में दिनांक 30 अक्टूबर, 2019 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

2- जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 द्वारा इस कार्य हेतु ज्वाइन्ट कमिश्नर (कारपोरेट सर्किल) के साथ एक टीम आबद्ध की जाएगी। इस टीम में आवश्यकतानुसार डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर अधिकारी तथा कम्प्यूटर कार्यो में दक्षता रखने वाले कार्मिक शामिल होंगे।

3- इस प्रक्रिया में संकलित डाटा सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कारपोरेट सर्किल) के कार्यालय में संरक्षित रखा जाएगा तथा भविष्य में पूरे प्रदेश से संकलित डाटा का बैक अप आई०टी० अनुभाग, मुख्यालय द्वारा रखा जाएगा।

4- इस कार्य की प्रगति की समीक्षा माह नवम्बर, 2019 में आयोजित होने वाली मुख्यालय बैठक में की जाएगी।


उक्त निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

  
(अमृता सोनी)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ०प०सं० व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ।

  
कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।